(44)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3795–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–9–2014 पारित द्वारा तहसीलदार गिर्द–2 तहसील गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 69/अ–12/2012–13

दिवाकर प्रसाद तनय जनार्दन प्रसाद
निवासी ग्राम मधुरी कोठार तहसील
गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. राजेश्वर प्रसाद शेषमणि राम ब्रा0
   ग्राम मधुरी कोठार तहसील
   गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0
2. म0प्र0 शासन

——— अनावेदकगण

.....

श्री कामताप्रसाद गुप्ता, अभिभाषक आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19 जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार गिर्द–2 तहसील गोपदबनास जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो के अनुसार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने ग्राम कोठार स्थित आराजी कमांक 228/1 के सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु निर्देशित किया। राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16–9–14 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने इस आशय की आपत्ति पेश की गई कि विवादित आराजी में आपत्तिकर्ता के हिस्से में 0.28 एकड़ का निजी स्वत्व एवं आधिपत्य है जिसे राजस्व अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 के हिस्से में सीमांकन किये जाने से आपत्तिकर्ता का हक स्वत्व एवं हित प्रभावित होगा। विवाद की स्थिति निर्मित होगी अतः सीमांकन निरस्त किया जाये। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति का निराकरण न कर सीमांकन की पुष्टि करने में त्रुटि की गई। तर्क में यह भी कहा कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 228 का बटांकन हो गया है और उक्त भूमि का नक्शा तर्मीम नहीं है, इस तथ्य पर तहसीलदार ने विचार नहीं किया। यह भी तर्क किया कि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को कोई सूचना जारी नहीं की गई जबकि सीमावर्ती कृषक को सीमांकन की सूचना दी जानी चाहिए।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रकरण का अवलोकन करने

के उपरांत आवेदक की आपत्ति पर विचार कर परीक्षण किया तथा अनावेदक कमांक 1 को विचाराधीन भूमि का भूमिस्वामी माना है और आपत्तिकर्ता आवेदक के हित को प्रभावित न करते हुए वादग्रस्त भूमि का सीमांकन स्वीकार किया। तहसीलदार द्वारा आवेदक के हितों को प्रभावित न कर सीमांकन की पुष्टि की है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन भी करा सकता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी इस स्तर पर निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर